प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4486/2005

आवेदक - ए.के. केशरवानी

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

....

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री आर.के. केशरवानी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री अजीत सिंह, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

....

मौखिक आदेश

(दिनांक 09 मार्च, 2010 को पारित)

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, याचिका पर अंतिम सुनवाई की गई।

(2) याचिकाकर्ता की शिकायत इस बात से उद्भूत होती है कि उसे पूर्व में परिवार नियोजन नीति के आधार पर जो एक अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी, उससे वंचित कर दिया गया। दिनांक 25-08-1988 को याचिकाकर्ता की पत्नी ने परिवार नियोजन (ट्यूबेक्टॉमी) ऑपरेशन करवाया था, जिसका प्रमाण दिनांक 25-08-1988 के चिकित्सकीय प्रमाणपत्र (अनुलग्नक क.-2) से मिलता है। शासन के दिनांक 29-01-1979 के परिपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता एक अग्रिम वेतन वृद्धि पाने का पात्र हो गया था। उक्त वेतन वृद्धि उसे दिनांक 25-08-1988 से प्रदान की गई थी। किन्तु जब दिनांक 01-01-1996 से संशोधित यू.जी.सी. वेतनमान के अंतर्गत, म.प्र./छ.ग. वेतन पुनरीक्षण

नियम, 1998 के अनुसार वेतन निर्धारण का अवसर आया, तब उक्त अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया।

(3) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क है कि एक बार जब अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया गया, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि न तो संशोधित यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन निर्धारण से संबंधित प्रावधानों में और न ही किसी अन्य शासकीय परिपत्र में ऐसा कोई प्रावधान है, जिसके आधार पर वेतन पुनर्निर्धारण करते समय इस लाभ को समाप्त किया जा सके। अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय **डॉ. श्रीमती. विजया कोथलकर, उज्जैन बनाम मप्र राज्य एवं अन्य, 2001 (5) एम.पी.एच.टी. 295 (युगल पीठ)** का अवलंब लिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा कोई निर्देश उपलब्ध न होने की स्थिति में, दिनांक 01-01-1996 से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात् अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था, और इस प्रकार याचिकाकर्ता उक्त लाभ का अधिकारी नहीं था। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 20-11-1979 के परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में, परिवार नियोजन शल्यक्रिया के प्रोत्साहन के रूप में याचिकाकर्ता को प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धि को संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु विचार में नहीं लिया जा सकता, अपितु उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में माना जाना अपेक्षित था। उन्होंने अपने तर्क को विस्तार से स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि उक्त अग्रिम वेतनवृद्धि, मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 / छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत परिभाषित मूल वेतन का अभिन्न अंग नहीं है, और अतः संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करते समय उसे सम्मिलित न किया जाना विधिसम्मत है।

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(6) निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता को दिनांक 25-08-1988 से परिवार नियोजन शल्यक्रिया के प्रोत्साहन के रूप में एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि उक्त लाभ प्रदान किए जाने के उपरांत, संशोधित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण करते समय दिनांक 01-01-1996 से याचिकाकर्ता को उक्त एक अग्रिम वेतनवृद्धि से वंचित कर दिया गया। यदि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 / छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण से संबंधित प्रावधानों का अवलोकन किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि नियम 7 के अधीन, वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु गणना मूल वेतन के आधार पर की जानी है। उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ, "मूल वेतन" की परिभाषा मूल नियम के खंड 9(21)(क)(i) से (iii) में दी गई है, जो निम्नानुसार है :—

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9(21)(क) "वेतन" से अभिप्राय वह राशि है जो एक शासकीय सेवक को मासिक रूप से प्राप्त होती है, अर्थात्—

(i) वह वेतन, जो विशेष वेतन अथवा उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर प्रदत्त वेतन को छोड़कर, उस पद के लिए स्वीकृत है जिसे वह स्थायी या कार्यवाहक क्षमता में धारण करता है, अथवा जिसे वह किसी संवर्ग में अपनी स्थिति के कारण प्राप्त करने का अधिकारी है;

(ii) विदेशी सेवा वेतन, तकनीकी वेतन, विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन ; तथा

(iii) ऐसे अन्य पारिश्रमिक, जिन्हें गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा विशेष रूप से "वेतन" के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

(7) अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का मूल वेतन दिनांक 25-08-1988 से उसे प्रदान की गई उक्त अग्रिम वेतनवृद्धि के अनुसार बढ़ गया। यह अग्रिम वेतनवृद्धि, नियत तिथियों पर अर्जित होने वाली सामान्य वेतनवृद्धियों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त लाभ के स्वरूप में थी।

(8) व्यक्तिगत वेतन की परिभाषा मूल नियम के नियम 9(23) के अंतर्गत इस प्रकार की गई है कि यह एक अतिरिक्त वेतन है, जो किसी शासकीय सेवक को— (क) वेतन पुनरीक्षण के कारण अथवा किसी अन्य कारण से (जो कि अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो) स्थायी पद के संबंध में उसके मूल वेतन में होने वाली हानि से बचाने हेतु; अथवा (ख) अपवादात्मक परिस्थितियों में, अन्य व्यक्तिगत कारणों के आधार पर प्रदान किया जाता है। उक्त प्रावधानों के आलोक में, याचिकाकर्ता को प्रदत्त अग्रिम वेतनवृद्धि को, मूल नियम के नियम 9(23)(a) एवं (b) में वर्णित किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्तिगत वेतन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

(9) उपर्युक्त विचाराधीन परिस्थितियों में, मैं राज्य के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि याचिकाकर्ता को प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धि को व्यक्तिगत वेतन के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तरवादियों द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में ऐसा कोई प्रावधान, जो कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 / छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 अथवा किसी अन्य शासकीय परिपत्र/दिशानिर्देश/निर्देश/अधिसूचना में निहित हो, प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर नियम 7 एवं 8 के अंतर्गत वेतन पुनरीक्षण करते समय मूल वेतन की गणना से अग्रिम वेतनवृद्धि को अपवर्जित किया जा सके। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय यह मानने में असमर्थ है कि दिनांक 01-01-1996 से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करते समय याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में अर्जित अग्रिम वेतनवृद्धि की उपेक्षा की जानी चाहिए थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) अन्यथा भी, संशोधित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के समय याचिकाकर्ता को प्राप्त हो रही अग्रिम वेतनवृद्धि को सम्मिलित न किए जाने का कोई औचित्य अथवा विधिक आधार मुझे दृष्टिगत नहीं होता। डॉ. श्रीमती. विजया कोथलकर उज्जैन (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने समान परिस्थितियों पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिलिखित किया :–

(8) यह सुस्थापित विधि सिद्धांत है कि वेतन पुनरीक्षण के समय, पदधारी द्वारा पूर्व में अर्जित वेतनवृद्धियों को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है तथा उसी के अनुरूप संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो यह उस लाभ से वंचित करने के समान होगा, जो पदधारी ने अर्जित किया है, जिससे उसे प्रतिकूल प्रभाव पहुँचेगा। इसी दृष्टिकोण से जी.एस. तोमर तथा दिवाकर कोठलकर को लाभ प्रदान किया गया। एसएटी ने अपने निर्णय के कंडिका 11 में यह उल्लेख किया है कि जी.एस. तोमर संशोधित वेतनमान का लाभ पाने के अधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने पूर्व में दो वेतनवृद्धियाँ अर्जित कर ली थीं। यह भी अभिलिखित किया गया कि उक्त लाभ को वापस ले लिया गया था, अतः उसे पुनः बहाल किया जाना आवश्यक था, और जब ऐसा किया गया, तब याचिकाकर्ता को उक्त लाभ से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं था। तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुरूप न होने वाले तथ्यों का उल्लेख करते हुए, अधिकरण ने दिवाकर कोठलकर के प्रकरण को भिन्न बताकर याचिकाकर्ता के तर्कों को अस्वीकार कर त्रुटि की।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) जिस कर्मचारी को अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान की गई हैं, उसे वेतन संरचना की उच्च सीढ़ी पर स्थापित किया जाता है। उसे इस प्रकार प्रतिकूल स्थिति में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इससे उसे गंभीर क्षति होगी, और जो लाभ उसने अर्जित किया है, वह बिना उसकी किसी त्रुटि के वापस ले लिया जाएगा। द्वितीयतः, ऐसा करना संवर्ग में असामान्य स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि इससे वह अपने कनिष्ठों के समान या उनसे भी नीचे की स्थिति में आ सकता है। अतः, यह तथ्य कि कर्मचारी ने वेतनवृद्धियाँ अर्जित की हैं और उच्च दर से वेतन प्राप्त कर रहा है, न तो वापस लिया जा सकता है, न ही कम किया जा सकता है, और न ही उसे उस लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसे उपेक्षित भी नहीं किया जा सकता। अतः, वेतनमान का निर्धारण, संशोधित वेतनमान

के अनुरूप, तथा संवर्ग में व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उचित रूप से किया जाना चाहिए।

(11) उपर्युक्त के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उत्तरवादियों द्वारा, परिवार नियोजन प्रोत्साहन के रूप में याचिकाकर्ता को प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धि की उपेक्षा करते हुए, दिनांक 01-01-1996 से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करना अवैध है। उत्तरवादी अब याचिकाकर्ता के वेतन का पुनर्निर्धारण करेंगे, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में अर्जित अग्रिम वेतनवृद्धि को सम्मिलित किया जाएगा। उत्तरवादी, उक्त वेतन पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप देय बकाया राशि एवं अन्य अनुषंगी लाभ का भी भुगतान करेंगे।

(12) तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**